राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
अकेलगढ़ रावतभाटा रोड, कोटा 324010
फोन (0744)–.2473003 फेक्स (0744)–2473033

क्र0: एफ(2) / बोम–36 / 2020 / 7570 दिनांकः– 17/12/2020

समस्त माननीय सदस्यगण
प्रबंध मण्डल
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
कोटा

विषय : प्रबंध मण्डल की 36वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के संबंध में ।

महोदय,

दिनांक 14 दिसम्बर 2020 (सोमवार) को Online video conferencing mode से सम्पन्न हुई राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की 36वीं प्रबंध मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकन हेतु भिजवाये जा रहे है।

अतः कृपया कार्यवाही विवरण का 03 दिवस में अवलोकन कर टिप्पणी, यदि कोई हो तो प्रेषित करने का श्रम करें ताकि प्रबंध मण्डल के कार्यवाही विवरण अंतिम रूप से जारी किये जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीया

(सुनीता डागा)
कुलसचिव एंव
सचिव, प्रबन्ध मण्डल

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल बैठक

कार्यवाही विवरण

बैठक संख्या	36वीं बैठक
स्थान	**Online Video Confrance Mode**
दिनांक	14 दिसम्बर 2020 (सोमवार)
समय	दोपहर : 12.00 बजे

दिनांक 14.12.2020 को दोपहर 12.00 बजे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा की 36वीं प्रबंध मण्डल की बैठक का ऑन लाईन वीडियो कॉनफ्रेंसिंग मोड के माध्यम से किया गया। बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे :–

1. प्रो. आर.ए.गुप्ता
2. श्री राम नारायण मीणा
3. श्री संत कुमार चौधरी
4. श्री रवि जूनिवाल
5. श्री टी. पी मीना, (संभागीय आयुक्त महोदय के नामित)
6. श्री पी.सी.मकवाना
7. प्रो. अनिल के0 माथुर
8. प्रो. बी.पी.सुनेजा
9. प्रो. विवेक पांडे
10. श्री सी.डी. प्रसाद
11. प्रो. आर.एस. मीणा
12. प्रो. संदीप पाराशर
13. डॉ. मनीष चतुर्वेदी
14. श्रीमति सुनिता डागा
15. श्री ए.ए.हनफी
16. डॉ. रमेश कुमार पचार
17. डॉ. रवि गुप्ता
18. प्रो. धीरेन्द्र माथुर (विशेष आमंत्रित सदस्य)
19. प्रो. डी.के. पलवलिया (विशेष आमंत्रित सदस्य)
20. डा. विकास बंसल (विशेष आमंत्रित सदस्य)

श्री पानाचंद मेघवाल, माननीय विधायक महोदय एवं श्रीमति शुचि शर्मा (आई.ए.एस), सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर प्रशासनिक कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक प्रारम्भ करने से पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया तदउपरान्त बैठक का शुभारम्भ किया गया।

प्र.म. 36.1	प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के येागदान की सराहना।

(कुलसचिव)

प्रबंध मण्डल के सदस्यों की वर्तमान सूची माननीय सदस्यों के अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।(अनुलग्नक 36.1 पृष्ठ 1–2)

संकल्प *अवलोकन किया गया।*

प्र.म. 36.2 दिनांक 25.6.2020को हुई प्रबंध मण्डल की 35वीं बैठक(अनुलग्नक 36.2पृष्ठ संख्या –3 से 15तक) के कार्यवाही विवरण पारित करना।

(कुलसचिव)

उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प *प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।*

प्र.म.36.3 दिनांक 25.6.2020 को हुई प्रबंध मण्डल की 35वीं बैठक की कार्यपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(कुलसचिव)

Action Taken report of of 35th BoM held on dated 25-06-2020

BoM 35.1	प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के येागदान की सराहना।	Seen
BoM 35.2	दिनांक 14.10.2019 को हुई प्रबंध मण्डल की 34वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।	Approved
BoM 35.3	दिनांक 14.10.2019 को हुई प्रबंध मण्डल की 34वीं बैठक की कार्यपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	Seen and Approved. Letter no. F(27)RTU-Exam/D /2019/ 13226 Dated 20.11.2019 *(अनुलग्नक 36.3.1 पृष्ठ 16)*to Sitaram Jindal Foundation, New Delhi. No fund is received from the foundation, so no action needed. एवं पत्र संख्या 6803 दिनांक 25.11.2020 जारी किया गया।*(अनुलग्नक 36.3.2 पृष्ठ 17)*
BoM 35.4	दिनांक 25.02.2020 को सम्पन्न हुई 20वीं वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	Seen and Approved and an office order issued vide no 303-10 dated 14.8.2020 *(अनुलग्नक 36.3.3 पृष्ठ 18)*

BoM 35.5	विश्वविद्यालय की निजी आय एवं व्यय के वर्ष 2020–21 के बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2019–20 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	Seen and Approved
BoM 35.6	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार(Intellectual property rights) नीति को अंगीकृत करने के संबंध में।	Seen and Approved and an office order issued vide no 2994-3009 dated 24.7.2020 *(अनुलग्नक 36.3.4 पृष्ठ 19)*
BoM 35.7	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक महिला कार्मिकों को राजस्थान सरकार के वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी चाईल्ड केयर लीव के अनुसार अनुमति प्रदान करने बाबत्।	कार्यालय आदेश संख्या 2888–923 दिनांक 23.7.2020 जारी किया गया। *(अनुलग्नक 36.3.5 पृष्ठ 20)*
BoM 35.8	राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त पत्र दिनांक 21.08. 2017 द्वारा विभिन्न परीक्षा मदो की दरें अनुमोदित की गयी, जिसके सम्बन्ध में इस विश्वविद्यालय के परीक्षा शुल्क व परीक्षा सम्बन्धी अन्य मदों में वृद्वि प्रस्ताव।	Noted. No exam. fee was increased for the session 2020-21.
BoM 35.9	नौकरी/उच्च शिक्षा हेतु उपाधि प्राप्ति के तत्काल आधार पर प्राप्त आवेदको को अंग्रेजी भाषा (English version) में उपाधि प्रदान किये जाने का प्रस्ताव।	Office-order no. F(27)/RTU-Exam/ COE/D/2020/2188-33 dated 06.08.2020 issued. *(अनुलग्नक 36.3.6पृष्ठ 21)*
BoM 35.10	विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के दौरान छात्रों के विरूद्ध दर्ज हुए Unfairmeansप्रकरणों की सजा के प्रावधान (विनिमय R-14) सम्बन्ध में प्रस्ताव।	Office-order no. F(23)3.16/RTU-Exam/ 2020/3223-30 dated 09.09.2020 issued. *(अनुलग्नक 36.3.7पृष्ठ 22)*
BoM 35.11	विश्वविद्यालय परीक्षा विनियम –पुनर्मूल्यांकन के नियम (विनियम R-18) में सशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	Office-order no. F(27)/RTU-Exam/ Sec./2020/3231-38 dated 09.09.2020 *(अनुलग्नक 36.3.8 पृष्ठ 23–24)*& F(27)/RTU-Exam/COE/Exam/Sec./ 2020/4649-59 dated 21.10.2020 issued.*(अनुलग्नक 36.3.9 पृष्ठ 25)*
BoM 3512	विश्वविद्यालय की चयन समितियों में आरक्षित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने हेतु प्रस्ताव ।	पत्र संख्या दिनांक से राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। *(अनुलग्नक 36.3.10 पृष्ठ 26–31)*

BoM 35.13	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में निम्नांकित पदों परप्रतिनियुक्ति पर भर्ती करने के अनुमोदन हेतु।	-
BoM 35.14	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय मे निम्नलिखित नये पद सृजित करने हेतु प्रस्ताव।	-
BoM 35.5(T)	विश्वविद्यालय में 300 किलोवाट का सोलर पेनल स्थापित करने के आदेश का अनुमोदन बाबत् ।	Work Order letters issued vide no. 1072-76 dated 18.6.2020 *अनुलग्नक (36.3.11 पृष्ठ 32–39)*
BoM 35.1.R	Reporting of Revised Quality Index Value (QIV) format for academic session 2020-21.	Noted
BoM 35.2(R)	Reporting of Revised College Transfer Regulations.	Noted
BoM 35.3(R)	Reporting of BOI Minutes (1st to 63rd Special BOI).	Noted
BoM 35.4(R)	विद्या परिषद की 29वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन ।	Noted

कार्यपालना रिपोर्ट माननीय सदस्यों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

संकल्प *प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।*

प्रम 36.4 दिनांक 20.11.2020 को हुई विद्या परिषद की 31वीं बैठक (अनुलग्नक 36.4 पृष्ठ संख्या 40–53) के कार्यवाही विवरण पारित करना।

(कुलसचिव)

दिनांक 20.11.2020 को हुई विद्या परिषद की 31वीं बैठक (अनुलग्नक 36.4 पृष्ठ संख्या40–53) अवलोकनार्थ संलग्न है।

संकल्प *प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।*

प्रम 36.5 **परीक्षा वर्ष 2019 में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को दशम् दीक्षान्त समारोह में उपाधि अनुग्रहित करने के क्रम में।**

(परीक्षा नियंत्रक)

बी.टेक., बी.आर्क, बी.एच.एम.सी.टी., बी.बी.ए., एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.टेक. एवंएम. आर्क के वे सभी विद्यार्थी जिन्होने 31मार्च 2020 तक अपनी सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें वि वविद्यालय के दशम् दीक्षान्त समारोह में उपाधि अनुग्रहित किया जाना है। पी.एच.डी. पाठ्यक्रम के छात्रों को उपाधि प्रदान किये जाने की अर्हता तिथि अकादमिक परिशद् की बैठक दिनांक 20.11.2020 के संकल्प संख्या 31.06 के अनुसार निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः अनुरोध है कि बी.टेक., बी.आर्क, बी.एच.एम.सी.टी., बी.बी.ए., एम.बी.ए., एम. सी.ए., एम.टेक. एवंएम.आर्क व पी.एच.डी. के वे सभी विद्यार्थी जिन्होनें उपरोक्त तिथियों तक अपनी सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें उपाधि अनुग्रहित करने हेतु तथा दीक्षान्त समारोह अध्यादेश सं.10 के अनुरूप उपाधि/डिप्लोमा/स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने की तिथि दर्ज करने के लिए अकादमिक परिशद् के निर्णय सं. 31.06 के अनुसरण में अनुमोदित किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

साथ ही प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक 31 मार्च 2020 तक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले ऐसे छात्र जिनका डिग्री रजिस्टर में नाम दर्ज नही हो सका है, को डिग्री प्रदान करने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। दशम् दीक्षान्त हेतु पात्र छात्रों की पाठ्यक्रमवार सूची प्रबन्ध मण्डल के समक्ष उपाधि अनुग्रहित किये जाने हेतु प्रस्तुत है। *(अनुलग्नक 36.5 पृष्ठ 54)*

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प *प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।*

प्रम 36.6 **दशम् दीक्षान्त समारोह में कुलाधिपति स्वर्ण पदक व कुलपति स्वर्ण पदक, पात्र छात्रों को प्रदान किये जाने का अनुमोदन।**

(परीक्षा नियंत्रक)

माननीय कुलाधिपति महोदय के कार्यालय से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र संख्या एफ. 1(39)आरबी/2016/ 7927 दिनांक 28.09.2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार

विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जाना था। यह स्वर्ण पदक प्रत्येक वर्ष रोटेशन के आधार पर निर्धारित संकाय के लिए दिया जाना निश्चित किया गया।

माननीय राजभवन के निर्देशों की पालना में विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालना रिपोर्ट अपने पत्र संख्या आरटीयू/वीसीएस/एफ(1)5/2016/ दिनांक 29.11.2016 द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है। साथ ही रोटेशन रोस्टर भी सूचित किया जा चुका है। उक्त आदेश प्रबन्ध मण्डल की 28वीं बैठक की कार्यसूची संख्या 28.03 पर अनुमोदित किये गये। साथ ही प्रबन्ध मण्डल द्वारा कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं बी.टेक. पाठ्यक्रम की समस्त ब्रांचों में अधिकतम अंक लाने वाले छात्र को कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने की भी अनुशंसा की गई।

इस वर्ष कुलाधिपति स्वर्ण पदक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में रोटेशन के आधार पर एम.बी.ए. पाठ्यक्रम का क्रम है। अतः वर्ष 2017–18 में प्रवेशित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों में से अधिकतम अंक लाने वाला विद्यार्थी इस स्वर्ण पदक हेतु योग्य है, जिसने अपना पाठ्यक्रम दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण कर लिया है।

दशम् दीक्षान्त समारोह में कुलाधिपति व कुलपति स्वर्ण पदक के योग्य अभ्यर्थियों के नाम निम्नानुसार है :

1. कुलाधिपति स्वर्ण पदक –सुश्री निधि बधाया, एम.बी.ए. अनुक्रमांक–17MMSXX674 वर्ष 2019, 84.85 प्रतिशत अंक

2. कुलपति स्वर्ण पदक – श्री नवीन भार्मा, बी.टेक. (कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी0) अनुक्रमांक –15EBKCS061, वर्ष 2019, 88.74 प्रतिशत अंक

माननीय सदस्यों के समक्ष दोनो स्वर्ण पदक का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प *प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।*

BOM 36.7 **To approve the necessary amendments in Rajasthan Technical University PhD Ordinance and Regulations on the recommendation of Research Board and Academic Council**

(डीन रिसर्च)

On the recommendation of Research Board and Academic Council to approve the necessary amendments in the RTU PhD Ordinance and Regulations regarding PhD program admission procedure and Course work in view of the adoption of UGC Minimum standards and procedure for the award of MPhil/PhD degrees Regulations 2016 and its subsequent amendments (1st and 2nd amendment of UGC Minimum standards and procedure for the award of MPhil/PhD degrees Regulations 2018) along with the Hon'ble Governor Guidelines for the award of PhD degree.

(Proposed amendments in RTU PhD Ordinance and Regulations in (अनुलग्नक 36.7.1 पृष्ठ 55–67) Minutes of Research Board meeting held on 2nd Nov 2020 in *(अनुलग्नक 36. 7.2 पृष्ठ 68–70)UGC PhD Regulation 2016 in (अनुलग्नक 36.7.3 पृष्ठ 71–82)UGC PhD 1st Amendment 2018 in (अनुलग्नक 36.7.4 पृष्ठ 83–84)UGC PhD 2nd Amendment 2018 in (अनुलग्नक 36.7.5 पृष्ठ 85–86) Hon'ble Governor's guidelines for award of PhD degree in (अनुलग्नक 36.7.6 पृष्ठ 87–100)UGC Letter No. F.1-1/2018/(Journal/CARE) dated December 2019 for new course work on Research and Publication Ethics in (अनुलग्नक 36.7.7 पृष्ठ 101–104) Minutes of the 31st Academic council meeting held on 20th Nov 2020 in (अनुलग्नक 36.4 पृष्ठ 40–53)*

Members are requested to approve the same.

संकल्प *प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।*

प्रम 36.7 अनुसंधान बोर्ड और शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय पीएचडी अध्यादेश और विनियमों में आवश्यक संशोधनों के अनुमोदन हेतु

(डीन रिसर्च)

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय पीएचडी अध्यादेश और विनियमों में पीएचडी कार्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया और पाठ्यक्रम के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2016 (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) और इसके बाद के संशोधनों (प्रथम एवं द्वितीय संशोधन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018) तथा माननीय राज्यपाल के पीएचडी की उपाधि के लिए दिशानिर्देशों के अनुरूप संशोधन करने की आवश्यकता हैं। इस हेतु अनुसंधान बोर्ड और अकादमिक परिषद की अनुशंसा पर आरटीयू पीएचडी अध्यादेश और विनियमों में प्रस्तावित संशोधन अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं ।

(आरटीयू पीएचडी अध्यादेश और विनियमों में प्रस्तावित संशोधन *(अनुलग्नक 36.7.1 पृष्ठ 55–67)* 2 नवंबर 2020 को आयोजित अनुसंधान बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त*(अनुलग्नक*

36.7.2 पृष्ठ 68–70) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एमफिल /पीएचडी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया नियम 2016 *(अनुलग्नक 36.7.3 पृष्ठ 71–82)* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीएचडी द्वितीय संशोधन विनियम 2018 *(अनुलग्नक 36.7.4 पृष्ठ 83–84)* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीएचडी द्वितीय संशोधन विनियम 2018*(अनुलग्नक 36.7.5 पृष्ठ 85–86)* पीएचडी डिग्री के लिए माननीय राज्यपाल के दिशानिर्देश *(अनुलग्नक 36.7.6 पृष्ठ 87–100)* यूजीसी पत्र संख्या F-1-1/ 2018/ (जर्नल / CARE) दिसंबर 2019 अनुसंधान और प्रकाशन नैतिकता पर नए पाठ्यक्रम के लिए*(अनुलग्नक 36.7.7 पृष्ठ 101–104)* 20 नवंबर 2020 को आयोजित 31 वीं विद्या परिषद की बैठक के कार्यवृत्त*(अनुलग्नक 36.4 पृष्ठ 40–53)*

संकल्प *प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।*

प्रम 36.8 <u>विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से 34 सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की प्राप्त स्वीकृति माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदार्थ।</u>

(स्थापना)

राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक प.23(7)त.शि./2006–I दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के विरूद्ध 34 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर वित्त विभाग, कार्मिक विभाग की सहमति पर इन पदों के विभाजन में राज्य में आरक्षण के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिचिशत करने एवं कार्मिक विभाग के दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देशों के साथ प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।*(अनुलग्नक 36.8पृष्ठ 105–106)*

अतः राज्य सरकार से प्राप्त भर्ती की स्वीकृति माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक दिशा–निर्देशार्थ प्रस्तुत है ।

संकल्प *प्रस्ताव अनुमोदित करने के साथ निर्देशित किया गया कि भर्ती हेतु राज्य सरकार से रोस्टर अनुमोदन पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।*

प्रम 36.9 दिनांक 27 नवम्बर 2020 को ऑनलाईन मोड में सम्पन्न हुई युनिवर्सिटी डिपार्टमेण्ट, आरटीयू, कोटा की विद्या परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना*(बुक नं.–1 पृष्ठ 1 से 9)*

(डीन, एफ.ए)

दिनांक 27 नवम्बर 2020 को ऑनलाईन मोड में सम्पन्न हुई युनिवर्सिटी डिपार्टमेण्ट, आरटीयू, कोटा की विद्या परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करने हेतु माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत है।

कार्यवाही विवरण में अंकित

Annexure-1- UDAC (II Meeting) CBCSUG-2020**Book No. 1 Page No. 10-91**
Annexure-2-Academic Cell (II Meeting UDAC) Scheme for students admitted in**Book No. 1 Page No.92-166**.
Annexure-3-UDAC (II Meeting) Scheme for Students admitted in 2018-19 **Book No. 1 Page No. 167-245**
Annexure-4UDAC (II Meeting) Scheme for Students admitted in 2019-20 **Book No. 1 Page No. 246-323**
Annexure-5 UDAC (II Meeting) Scheme for Students (First Year) admitted in 2020-2021 and onwards **Book No. 1 Page No. 324-326**
Annexure-6UDAC (II Meeting) BOS of HEAS 2020-21 Book No. 1 Page No.327
Annexure-7UDAC (II Meeting) Approval of COVID-19 Measures 2020-21 **Book No. 1 Page No.328-348**

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प *प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।*

प्र.म.टी. 36.1 **कर्मचारी कल्याण कोष से वाहन क्रय प्रयोजन पर ऋण/अग्रिम प्रदान करने हेतु प्रबन्धन मण्डल की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव ।**

(डीन, एफ.ए)

कर्मचारी कल्याण कोष समिति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा से कार्मिकों के कल्याण हेतु निम्न प्रयोजनों पर 6 माह के वेतन के बराबर (मूल वेतन+डी.ए.) ऋण/अग्रिम दिया जा रहा हैं । जिसकी वसूली 36 माह की कार्मिक के वेतन से की जा रही हैं।

1- Medical expenses of staff member or dependents which could not be reimbursed by RTU/government or any other agency.
2- Relief of family on demise of staff member.
3- Educational expenses of dependents.
4- Marriages of son/daughter.
5- House construction.

ऋण क्रम सं. 1 एवं 2 पर अंकित प्रयोजनों पर समिति द्वारा अनुदान दिये जाने का नियमों में प्रावधान हैं ।

कार्मिक के वाहन क्रय करने पर ऋण/अग्रिम हेतु भी समय समय पर आवेदन प्राप्त होते रहे हैं । लेकिन कर्मचारी कल्याण कोष समिति के नियमों में प्रावधान नही होने के कारण कार्मिकों को वाहन क्रय के प्रयोजन पर ऋण/अग्रिम की राशि समिति द्वारा स्वीकृत नही की जा कर आवेदन पत्र निरस्त किये जा रहे हैं । इस क्रम में विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का अनुरोध पत्र भी प्राप्त हुआ हैं ।

अतएव् कर्मचारी कल्याण कोष समिति सदस्य कर्मचारी कल्याण कोष समिति के नियमों में संशोधन कर अन्य प्रयोजनों के समानान्तर ही वाहन क्रय पर भी ऋण/अग्रिम दिये जाने का प्रावधान प्रबन्धन मण्डल की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव रखें जाने की अभिशंसा करते हैं । जिससे कार्मिकों को वाहन क्रय पर भी ऋण/अग्रिम की सुविधा उपलब्ध करवायी जा सकें ।

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प *प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।*

प्र.म.टी. 36.2 **To consider and approve payment of GST @18% charged by the agency in addition to the approved salary of TEQIP-III staff.**

(डीन, एफ.ए)

In compliance of the resolution taken in 34th meeting of Board of Management held on 14-10-2019 the matter was put up before SPIU, Rajasthan for necessary approval. Vide email dated 11-12-2020 SPIU has informed to decide the matter at university level.

It is appropriate to mention here that following colleges have already approved through their respective BOG payment of GST in addition to the salary to TEQIP staff.

1. MLVTEC, Bhilwara
2. UCET, Bikaner
3. Engineering College Bharatpur
4. University Department, RTU, Kota

It is therefore proposed that payment of GST may be approved in addition to the salary to the TEQIP staff in compliance of the order of TED, Govt of Rajasthan as under.

MIS officer	:	35,000/- + GST per month
Accounts Assistant	:	25,000/- + GST per month
Jr. Assistant	:	18,000/- + GST per month

Members may kindly consider and approve above retrospectively with effect from May, 2018.

संकल्प *प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।*

प्र.म.टी. 36.3 **विश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी, सहायक कुलसचिव एवं उपकुलसचिव के पदों पर पदौन्नति के अवसर प्रदान करने बाबत्**

(स्थापना)

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में वर्तमान में अनुभाग अधिकारी, सहायक कुलसचिव एवं उपकुलसचिव के पदौन्नति के अवसर नहीं है। हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के सम्बन्ध में जारी गजट नोटिफिकेशन दिनांक 16.10.2020 में उक्त पदों पद पदौन्नति के प्रावधान कर दिए गए है। अतः उक्तानुसार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में भी उक्त पदों पर पदौन्नति के प्रावधान रखा जावे ताकि विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को कार्य हेतु अभिप्रेरणा मिल सके।

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प *उक्त प्रस्ताव के परीक्षण हेतु माननीय कुलपति महोदय को एक समिति गठन के लिए अधिकृत किया गया।*

समिति से परीक्षण पश्चात प्राप्त सुझावों/रिपोर्ट इत्यादि का माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन के उपरान्त राजभवन एवं राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया।

बैठक का समापन प्रबंध मण्डल की सदस्य सचिव द्वारा सबको धन्यवाद ज्ञापित करने के उपरान्त किया गया ।